1948 ई0 का संयुक्त प्रान्त का प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी ऐक्ट {संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 40, 1948}

THE UNITED PROVINCES PRADESHIK ARMED CONSTABULARY ACT, 1948

[U. P. Act No. XL OF 1948]

1948 ई0 का संयुक्त प्रान्त का प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी ऐक्ट¹ {संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 40, 1948}

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, 1950 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1956

एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत द्वारा संशोधित

{संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली तथा लेजिस्लेटिव कौंसिल ने क्रमशः 18 अक्टूबर, 1948 तथा 5 नवम्बर, 1948 की बैठक में स्वीकृत किया ।

9 दिसम्बर, 1948 ई० को गर्वनर ने भारतीय (अस्थायी विधान) आदेश सन 1947 ई० द्वारा अवस्थानुकूल परिवर्तित भारत—शासन विधान सन् 1935 ई० की धारा 75 के अधीन स्वीकृति प्रदान की और संयुक्त प्रन्तीय शासकीय असाधारण गजट,दिनाकं 13 दिसम्बर, 1948 ई० में प्रकाशित हुआ।}

(प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबूलरी)² को नियमित करने के लिये

एक ऐक्ट

क्योंकि यह उचित और आवश्यक है कि संयुक्त प्रान्तीय आर्म्ड कान्सटेबुलरी को संगठित तथा नियमित करने के लिये व्यवस्था की जाये, इसलिये निम्नलिखित कानून बनाया जाता है ;

भूमिका

1—— (1) इस ऐक्ट का नाम 1948 ई0 का संयुक्त प्रान्त का प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी ऐक्ट होगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

- (2) ये ऐक्ट पूरे {उत्तर प्रदेश}⁴ में लागू³ होगा ।
- (3) यह ऐक्ट तुरन्त लागू होगा ।
- 1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये दिनांक अक्टूबर, 1948 का गजट 152 देखिये;
- 2. सम्पूर्ण अधिनियम में जहां कहीं भी अभिव्यक्ति (प्रान्तीय आर्म्ड कान्सटेबुलरी) आयी हो, उसे उ०प्र०अधिनियम सं० ३०, १९५६ द्वारा (प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी) में बदली समझी जाये ।
- 3. इस अधिनियम का विस्तार इस सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित क्षेत्रों में स्तम्भ 2 में उल्लिखित अधिनियम या आर्डर के अधीन किया गया है और इसे क्षेत्रों में, स्तम्भ 3 में उल्लिखित विज्ञप्ति, यदि कोई हो, के अधीन उस दिनांक से जो प्रत्येक ऐसे क्षेत्र के सामने स्तम्भ 4 में उल्लिखित है, प्रवृत्त किया गया है ।

क्षेत्र	अधिनियम अथवा आर्डर जिनके अधीन विस्तार किया	विज्ञप्ति, यदि कोई है, जिनके अधीन प्रवृत्त	तिथि जिससे प्रवृत्त, किया गया
	गया	किया गया	
1	2	3	4
1– जिला रामपुर	रामपुर (एप्लीकेशन आफ		30 दिसम्बर, 1949
	लाज) आर्डर 1950		
2— जिला बनारस	बनारस (एप्लीकेशन आफ	3261 (1)(2), दिनांक	30 नवम्बर, 1949
	लाज) आर्डर 1949	30 नवम्बर, 1949	
3– जिला टिहरी गढ़वाल	टिहरी गढ़वाल (एप्लीकेशन	तदैव	तदैव
	आफ लाज) आर्डर 1949		
4— जिला देहरादून में जौनसार—	1950 ई० का उ०प्र० ऐक्ट		2 सितम्बर 1950
बावर परगना	सं0 27		
5— जिला मिर्जापुर का कैमूर रेंज	"		"
का दक्षिणी भाग			

^{4.} एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (युनाइटेड प्राविन्सेज) के लिये प्रतिस्थापित ।

धारा 2-5}

2-- इस ऐक्ट में, जब तक कि कोई बात, विषय या प्रसंग के विपरीत न हो--

परिभाषाएं

- (1) ''कमाण्डेंट'', ''असिस्टेंट कमाण्डेंट'' और ''ऐडजुटेंट'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है, जिनका {राज्य सरकार} ने [प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी] के उन पदों पर नियुक्त किया गया हो।
- (2) (प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के अधिकारी) से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस ऐक्ट के अन्तर्गत (प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी)² में नियमित किया गया हो और जिसने इस ऐक्ट के आदेशों के अनुसार ऐसे फार्म में एक वक्तव्य पर अपने हस्ताक्षर किये हो, जो परिशिष्ट में दिया गया है।
- (3) ''विश्वास करने का कारण'' (रोजन टू विलोज), ''सापराध बल प्रयोग'' (किमिनल फोर्स) और ''प्रहार'' (असाल्ट) शब्दों के वही अर्थ होगें, जो क्रमशः उनके भारतीय दण्ड संहिता (इण्डियन पीनल कोड) में माने गये है ।

ऐक्ट सं0 45, 1860 ई0

- (4) {प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी} के किसी ऐसे अधिकारी के संबंध में ''उच्च पदाधिकारी'' से तात्पर्य किसी ऐसे पद (रैंक) के अधिकारी से है जो, जैसा कि निर्धारित किया गया हो, ऐसे अधिकारी के पद से ऊचे पद का हो ।
 - (5) {***}³
- (6) ''निर्धारित'' से तात्पर्य इस ऐक्ट के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा निर्धारित किये हुए है ।
- 3— {राज्य सरकार}¹ एक दल बनाकर कायम रखेगी, जिसका (प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी)² नाम होगा और उसकी एक या एक से अधिक कम्पनियां ऐसे ढंग से और ऐसी अविध के लिये बनायी जायेगी, जो निर्धारित किये जायें।

दल का नाम

4— इससे पहले कि कोई व्यक्ति, चाहे पुलिस ऐक्ट सन् 1861 ई0 के अधीन {उत्तर प्रदेश} पुलिस दल में भर्ती हो चुका हुआ हो, या न भर्ती हुआ हो, {प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी} के किसी ऐसे अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाये, उसको परिशिष्ट में दिया हुआ वक्तव्य (स्टेटमेंट) कोई मजिस्ट्रेट, कमाण्डेंट, असिस्टेंट कमाण्डेंट पढ़कर सुनायेगा और यदि आवश्यक हो तो उसे उक्त वक्तव्य समझा देगा और वह व्यक्ति इस बात की स्वीकृति में अपना हस्ताक्षर करेगा कि उक्त वक्तव्य उसको इस तरह पढ़कर सुनायेगा और समझाया गया है और उक्त मजिस्ट्रेट, कमाण्डेंट, असिस्टेंट कमाण्डेंट जैसी भी दशा हो, इसके प्रमाण में अपने हस्ताक्षर करेगा।

प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटे— बुलरी के अधिकारियों की भर्ती और उनका अलग किया जाना ऐक्ट सं0 5,

5— धारा 6 से 8 तक के आदेशों को सदैव मानते हुये {प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी}² का प्रत्येक सदस्य नियुक्त होने पर और उस समय तक जब तक कि वह उसका सदस्य रहे, पुलिस अधिकारी समझा जायेगा और ऐसी शर्तो, प्रतिबंधों और बंधनो के साथ, जो निर्धारित किये जाये, उसको वह सब अधिकार, अविशेषाधिकार, दायित्व, निग्रह, दण्ड और संरक्षण प्राप्त होंगे और उनके अधीन वह रहेग, जो नियमानुसार नियुक्त पुलिस अफसर को पुलिस ऐक्ट, 1861 ई0 या किसी ऐसे अन्य कानून के, जो उस समय लागू हो, या उनके अन्तर्गत बने किन्हीं नियमों (रूल्स) या अधिकारों (रेगुलेशन्स) के द्वारा प्राप्त हों, या जिनके अधीन वह हो, किन्तु वह शर्ते, प्रतिबंध और बंधन इस ऐक्ट के आदेशों के प्रतिकृल न होंगें।

नियुक्त होने पर प्रत्येक सदस्य के अधिकार

^{1.} एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेंट) के लिये प्रतिस्थापित ।

^{2.} इस अधिनियम के प्रथम पृश्ठ पर पाद-टिप्पणी संख्या 2 देखिये ।

शब्द "डोमिनियन" का तात्पर्य "डोमिनियनअ आफ इंडिया" से है, एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा निकाल दिये गये ।

^{4.} उपर्युक्त द्वारा (यूनाइटेड प्राविन्सेज) के लिये प्रतिस्थापित ।

धारा 6-7 }

6— {प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी} के किसी भी अधिकारी को, जो—

अधिक घोर अपराध

- (क) किसी सेना विद्रोह (गदर) या राजद्रोह को प्रारम्भ करे, भड़कायें या करवाये, या उसमें सिम्मिलित हो अथवा किसी सेना विद्रोह या राजद्रोह के समय उपस्थित होने पर उसे दबाने के लिये अपना पूरा प्रयत्न करें या यह जानते हुये, या इसका विश्वास करने का कारण रखते हुये कि किसी सेना में विद्रोह हो रहा है या सेना का विद्रोह करने का विचार है, इसकी सूचना तुरन्त अपने कमांडिंग या अन्य उच्चाधिकारी को न दें; या
- (ख) अपने उच्च अधिकारी के विरूद्ध, चाहे वह उस समय कर्तव्य पालन कर रहा हो या न कर रहा हो, सापराध बल प्रयोग (किमिनल फोर्स) करें या ऐसे बल-प्रयोग करने का प्रयत्न करें या अपने उच्च अधिकारी पर प्रहार (असाल्ट) करें ; या
- (ग) अपने ऐसे स्थान (पोस्ट) या पहरे (गार्ड) को छोड़ दें या वहां से हट जाये जिस पर उसकी नियुक्ति की गई हो या जिसका संरक्षण करना उसका कर्तव्य हो ; या
- (घ) किसी ऐसे व्यक्ति से, जो {यूनियन}¹ के विरूद्ध सषस्त्र विद्रोह हो या {यूनियन}¹ का विद्रोही हो, प्रत्यक्ष या अन्य रूप से पत्र व्यवहार करें या उसे सहायता दें या सशस्त्र विद्रोही को छुटाये या तुरन्त ही अपने कमांडिंग या अन्य पदाधिकारी को ऐसा कोई पत्र—व्यवहार, जिसका उसको ज्ञान हो, प्रकट नहीं करें ; या
 - (ङ) नौकरी छोड़ कर भाग जाये ;

अपराधी ठहराये जाने पर आजीवन कारावास (इम्प्रिजनमेंट फार लाइफ) या ऐसे कारावास का दण्ड दिया जायेगा जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक हो सकती है और उसका अर्थ–दण्ड भी दिया जा सकेगा।

7— (प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी) के किसी भी अधिकारी को, जो—

कम घोर अपराध

- (क) किसी संतरी को मारे या उस पर प्रहार करें; या
- (ख) हिरासत (एरेस्ट) या स्थानासेध (कन्फाइनमेंट) में होते हुये हिरासत या स्थानासेध से भाग जाये ; या
- (ग) अपने कर्तव्य—पालन में अपने उच्च अधिकारी के प्रति अत्यन्त अनाज्ञाकारी या अशिष्ट हो ; या
- (घ) {प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी}² के किसी अधिकारी को, जो पद (रैंक) या स्थान में उससे नीचे हो, मारे या उसके साथ द्वेषपूर्ण दुर्व्यवहार करें ; या
- (ङ) काम न करने की इच्छा से बीमार होने का बहाना बनाना या अभिनय करें या स्थान आप में कोई रोग या दुर्बलता उत्पन्न करे अपने आप में कोई रोग या दुर्बलता उत्पन्न करें या जान—बूझ कर अपने स्वस्थ होने में देरी लगाये या अपने रोग या दुर्बलता को बढ़ाये : या
 - (च) संतरी होते हुये अपने स्थान (पोस्ट) में काम करते समय सोये ; या
- (छ) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नियमित रूप से अपने कार्य से मुक्ति पाये बिना या छुट्टी लिये बिना अपने स्थान, पहरे, चौकी (पिकेट), दल (पार्टी) या गश्त (पेट्रोल) को छोड़ दें ;

अपराधी ठहराये जाने पर कारावास का दण्ड दिया जायेगा, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकती है या अर्थ दण्ड दिया जायेगा या दोनों दिये जायेगें ।

^{1.} एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (डोमिनियम) के लिये प्रतिस्थापित ।

^{2.} इस अधिनियम के प्रथम पृष्ठ पर पाद-टिप्पणी संख्या 2 देखिये ।

धारा 8-11 }

8—— (1) कमान्डेंट या उसके नियंत्रण में असिस्टेंट कमान्डेंट या ऐसे अन्य अधिकारी को जो निर्धारित किया जाये, यह अधिकार होगा कि वह (प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी) के किसी भी अधिकारी को, जो पद में हेड कांस्टेबल या उससे कम हो और उसके अधीनस्थ हो नियमित रूप से अभियोग पर विचार किये बिना अनुशासन संबंधी किसी भी ऐसे अपराध के करने पर, जिसकी व्यवस्था इस ऐक्ट में अन्यथा नहीं की गयी हो या जो कमान्डेंट, असिस्टेंट कमान्डेंट या अधिकारी के, जैसी भी दशा में, मत में इतनी गंभीर न हो उसके लिये फौजदारी अदालत में मुकदमा चलाना आवश्यक हो, निम्नलिखित दण्डो में से कोई भी दण्ड दे सकता है अर्थात्——

छोटे दण्ड

- (क) क्वार्टर गार्ड में या ऐसे अन्य स्थान में, जो उपयुक्त समझा जाय, कारावास का दण्ड, जिसकी अविध 28 दिन तक हो सकती है जब कि आज्ञा कमान्डेंट द्वारा दी जाये और सात दिन का जब तक कि आज्ञा किसी अन्य अधिकारी द्वारा दी जाये। इस प्रकार का कारावास होने पर कारावास की अविध के समस्त वेतन और भत्ते जब्त कर लिये जायेगें:
- (ख) दण्ड के रूप में ड्रिल, अधिक पहरा, परिश्रम (दलेल) या अन्य ड्यटी जिसकी अविध 28 दिन से अधिक न होगी और जिसके साथ लाइन में उपस्थित रहने या न रहने का प्रतिबंध हो सकता है :
 - (ग) अर्थ दण्ड, जो सात के वेतन से अधिक न होगा ।
- (2) उपधारा (1) में दिये गये दण्डों में से कोई भी एक दण्ड पृथक रूप से या अन्य दण्डों में से किसी एक या एक से अधिक के साथ दिया जा सकता है, किन्तु सदैव प्रतिबंध यह रहेगा कि कारावास और लाइन में उपस्थिति की अवधि लगभग 28 दिन से अधिक न होगी और कारावास के दण्ड के साथ अर्थ—दण्ड न दिया जायेगा ।
 - (3) इस धारा के अधीन दी गई धारा की कोई अपील न होगी ।

9— पुलिस ऐक्ट, 1861 ई0 या किसी अन्य कानून में किसी अन्य आदेश के होते हुये भी [प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी] का कोई अधिकारी, उस दशा के अतिरिक्त, निर्धारित कर जाये [प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी] से अलग न हो सकेगा ।

ऐक्ट नं0 5, सन् 1861 ई0 ध्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी}¹ से अलग करना

10— धारा 9 में किसी आदेश के होते हुये भी कमान्डेंट, असिस्टेंट कमान्डेंट या अधिकारी को पुलिस दल से अस्थायी दल से अस्थायी रूप से आर्म्ड कांस्टेबुलरी में नियुक्ति के लिये भेज दिया गया हो, {प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी} से {उत्तर प्रदेश} पुलिस दल में लौटा सकता है ।

प्रत्यावर्तन

11— (1) इस ऐक्ट के अधीन तीन माह से अधिक अविध के लिये कारावास का दण्ड पाने वाले व्यक्ति के संबंध में पुलिस ऐक्ट, 1861 में किसी आदेश के आदेश के होते हुये भी यह समझा जाये कि वह {उत्तर प्रदेश} पुलिस दल और (प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी) से बर्खास्त कर दिया गया है और वह सब से निकटवर्ती या किसी ऐसे अन्य जेल में रखा जायेगा, जिसका (राज्य सरकार) साधारण या विषेश आज्ञा द्वारा आदेश दें।

कारावास का स्थान ऐक्ट नं0 5, 1861 ई0

(2) इस ऐक्ट के अधीन तीन माह से कम अविध के लिये कारावास का दण्ड पाने वाले व्यक्ति यदि कमान्टेंट या उसके नियंत्रण में असिस्टेंट कमान्टेंट ऐसा आदेश दें, क्वार्टर गार्ड या किसी अन्य स्थान में रखा जा सकेगा, जिसे कमान्टेंट या असिस्टेंट कमान्टेंट उपयुक्त समझे ।

^{1.} इस अधिनियम के प्रथम पृष्ठ पर पाद-टिप्पणी संख्या 2 देखिये ।

एंडेप्टेशन आफ लाज आर्डेर, 1950 द्वारा (डोमिनियम) के लिये प्रतिस्थापित ।

धारा 12-16}

12— इस ऐक्ट में दी हुई किसी बात से इसका निशेध न होगा कि पुलिस ऐक्ट, 1861 या उसके अनुसार दी गई किसी आज्ञा या उसके अनुसार बताये गये किसी नियम के अधीन या किसी और कानून के अधीन जा उस समय लागू हो, किसी व्यक्ति पर किसी ऐसे कार्य के लिये जिसका करना या न करना उसके अन्तर्गत दण्डनीय हो, मुकदमा न चलाया जा सकें या उस पर अभियोग चलाये जाने की दशा में कोई ऐसा दण्ड न दिया जा सकें जो उस ऐक्ट के अधीन उस कार्य के करने या न करने के कारण दिये जाने योग्य किसी दण्ड से भिन्न या अधिक हो:

अन्य कानूनों के अधीन मुकदमा चलाये जाने के संबंध में

किन्तु प्रतिबंध यह है कि किसी अपराध के लिये किसी व्यक्ति को दोबारा दण्ड नहीं दिया जा सकेगा।

13— ऐसे नियमों के अधीन जो इस संबंध में {राज्य सरकार}² बनाये कमान्टेंट या असिस्टेंट कमान्टेंट को उन पुलिस अधिकारियों के संबंध में, जिनकी नियुक्ति पुलिस ऐक्ट, 1861 के अधीन {उत्तर प्रदेश}² पुलिस दल (फोर्स) में हुई हो और जो {प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी}¹ के अधिकारी न हो, अनुशासन संबंधी वही अधिकार प्राप्त होगें, जो उक्त ऐक्ट के अधीन उसके संबंध में किसी जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट को प्राप्त है ।

प्रावेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी] के कमान्टेंट या असिस्टेंट कमान्टेंट को अनुशासन संबंधी तथा अन्य अधिकार जो प्रावेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी] के संबंधी अधिकारों से भिन्न हैं। ऐक्ट संठ 5, 1861 प्रावेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी] या उसकी किसी कम्पनी को तोड़ना या पुर्नगठन करना। ऐक्ट संठ 5, 1861

- 14—— (1) {राज्य सरकार}² सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके [प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी}¹ या उसकी किसी कम्पनी को तोड़ सकती है या उसका फिर से संगठन कर सकती है ।
- (2) जब कभी {प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी} या उसकी किसी कम्पनी उपधारा (1) के अधीन तोड़ दी जाये तो इस ऐक्ट या किसी कानून में, जो उस समय लागू हो, किसी आदेश के लागू होते हुए भी और उन प्रतिबंधों के अधीन, जो निर्धारित किये जाये, {राज्य सरकार} के लिये वैध होगा कि इस प्रकार दल को तोड़ने या उसका पुनर्गठन करने के उददेष्य से {प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी} की नौकरी से किसी अधिकारी को अलग कर दें और यदि वह अधिकारी पुलिस ऐक्ट, 1861 ई0 के अधीन भर्ती किया गया हो और उसको स्थायी (कन्फर्म) न किया गया हो तो उसे पुलिस दल से भी हटा दें।

15—— (1) {राज्य सरकार}² इस ऐक्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये नियम बना सकती है ।

नियम बनाने का अधिकार

- (2) पूर्व लिखित अधिकारों को सामान्यता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, इन नियमों में निम्नांकित विशयों के लिये व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—
 - (1) उन कम्पनियों की संख्या, जो बनायी जायेगी ;
 - (2) {प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी} के अधिकारियों के वेतन और उनकी सेवा संबंधी शर्ते और प्रतिबंध ;
 - (3) वे व्यक्ति, जो {प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी}¹ के अधिकारी नियुक्त किये जा सकें और उनकी नियुक्ति की विधि ;
 - (4) कोई अन्य विषय, जो निर्धारित किया जाने वाला हो या निर्धारित किया जाये।

16— स्पेशल आर्म्ड कान्सटेबुलरी ऐक्ट, सन 1942 ई0 जो समय—समय पर संशोधित हुआ है, इस धारा द्वारा रदद (रिपील) किया जाता है :

ऐक्ट सं0 5, 1942 रद्द करना (रिपील)

किन्तु प्रतिबंध यह है कि (प्रभाव रद्द करने के विषय में यूनाइटेड प्रार्विसेज जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1904 ई0 की धारा 6 और 24 के सामान्य प्रभाव पर विपरीत प्रभाव डाले बिना):— संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं0 1, 1904

^{1.} इस अधिनियम के प्रथम पृश्ठ पर पाद-टिप्पणी संख्या 2 देखिये।

^{2.} एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(परिशिष्ट)

- (क) कोई फार्म, आज्ञा, नियम या निर्देश, जो ऐक्ट के अन्तर्गत बनाया, प्रचलित किया या दिया गया हो और जो इस ऐक्ट के आरम्भ से ठीक पहले लागू हो, जहां तक कि यह {प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी} को लागू है और इस ऐक्ट के असंगत नहीं है, उसी प्रकार लागू रहेगा मानो वह इस ऐक्ट के अन्तर्गत निर्धारित, बनाया, प्रचलित किया या दिया गया था और इसी प्रकार वह रदद किया, परिवर्तित किया या संशोधित किया जा सकेगा;
- (ख) कोई भी अधिकारी या व्यक्ति, जो उक्त ऐक्ट के अधीन या उसके अनुसार कार्य करने के लिए (प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी)² में नियुक्त या भर्ती किया गया हो, उस पद पर काम करता रहेगा और उसके विषय में यह समझा जायगा कि वह इस ऐक्ट के अधीन या उसके अनुसार नियुक्त किया गया था; और
- (ग) यदि स्पेशल आर्म्ड कान्सटेबुलरी ऐक्ट या (प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी) के किसी सदस्य ने उक्त ऐक्ट की धारा 3 और 13 के अनुसार कोई वक्तव्य (स्टेटमेंट) दिया है, तो इसको इस प्रकार पढ़ा जायेगा और उसके विषय में यह समझा जायेगा कि वह इस ऐक्ट के अनुरूप आदेशों के अधीन दिया गया था ।

परिशिष्ट

(धारायें 2, 3 और 4 देखिये)

वक्तव्य

आपको अपनी प्रार्थना पर {प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी} की नौकरी से अलग हो जाने का किसी समय अधिकार न होगा। इस दल या कम्पनी के टूटने पर जिनमें भी आप उस समय तैनात हों, आप आर्म्ड कांस्टेबुलरी से अलग कर दिए जायेंगे। जब तक कि आप (प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी) में आने के पूर्व {उत्तर प्रदेश} पुलिस दल (फोर्स) के स्थायी सदस्य न रहे हो, 3{आपको {उत्तर प्रदेश} पुलिस से भी अलग कर दिया जायगा।} (परन्तु आपको {उत्तर प्रदेश} पुलिस में फिर से भर्ती होने का अधिकार होगा।) यदि आप {उत्तर प्रदेश} पुलिस में रहे या उसमें फिर से भर्ती हो जाय तो आपको (प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी) में की हुई सेवायें (सर्विसेज) {उत्तर प्रदेश} पुलिस दल में पदोन्नित और पेंशन के लिये जोड़ दी जायेगी।

पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर इस बात की पुष्टि में कि उपर्युक्त पंक्तियां पढ़ कर सुना दी गयी है ।

मेरे यह निश्चय कर लेने के बाद कि......ने उक्त वक्तव्य का आशय समझ लिया है, मेरे सामने हस्ताक्षर किये ।

> कमाण्डेंट, मजिस्ट्रेट या असिस्टेंट कमाण्डेंट

^{1.} एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविंशियल गवर्नमेंट) के लिये प्रतिस्थापित ।

^{2.} इस अधिनियम के प्रथम पृष्ठ पर पाद-टिप्पणी संख्या 2 देखिये ।

वह भाग, जो कोष्ठों के भीतर है, उन अधिकारियों की दशा में काट दिया जायेगा, जो प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी में भर्ती होते समय उत्तर प्रदेश पुलिस के सदस्य हों।

THE UNITED PROVINCES PRADESHIK ARMED CONSTABULARY ACT, 1948¹ [U. P. Act No. XL of 1948]

Amended by-

U. P. Act no. XXVII of 1950

U. P. Act no. XXX of 1956.

[Passed by the U. P. Legislative Assembly on October 18, 1948 and by the U. P. Legislative Council on November 5, 1948.

Received the assent of the Governor on December 9, 1948 under section 75 of the Government of India Act, 1935, as adapted by the Indian (Provisional Constitution) Order, 1947 and was published in the U.P. Gazette, Extraordinary, dated December 13, 1948.]

AN

ACT

for the regulation of the [Pradeshik Armed Constabulary]²

Preamble

WHEREAS it is expedient to provide for the constitution and regulation of the United Provinces Armed Constabulary; it is hereby enacted as follows:--

Short title, extent and commencement

1-

- (1) This Act may be called the United Provinces Pradeshik Armed Constabulary Act, 1948.
 - (2) It extends³ to the whole of [Uttar Pradesh]⁴.
 - (3) It shall come into force at once.

- 1. For S. O. R. see Gaz. Extra. d. Oct. 9, 1948.
 - 2. Throughout the Act, the expression (Provincial Armed Constabulary) shall stand amended as (Pradeshik Armed Constabulary) by U. P. Act XXX of 1956.
 - 3. This Act has been extended to the areas mentioned in column 1 of this table under the Act or Order mentioned in column 2 and enforced in such areas under notification, if any, mentioned in column 3 with effect from the date mentioned in column 4 against each such area:

Area	Act or Order under which extended	Notification, if any, under which enforced	Date from which enforced
1	2	3	4
1.Rampur District	Rampur (Application of Laws) Act, 1950		Dec.30, 1949
1.BanarasDistrit	Banaras (application of Law) Order, 1949.	No. 3262(1)/XVII, d. Nov. 30,1949	Nov. 30, 1949
2.Tehri-Garhwal District	Tehri Garhwal (Application of laws) Order, 1919,	Ditto.	Ditto
3. Jaunsar-Bawar Pargana of the DehraDun District	U.P. Act No. XXVII of 1950		Sep.2, 1950
Portion of Mirzapur District south of the Kaimur Rang	Ditto		Ditto

^{4.} subs. by the A.O. 1950 for (the united provinces)

[The United Provinces Pradeshik Armed Constabulary Act, 1948]

[Section 2-5]

Definitions

- 2- In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context --
 - (1) "Commandant", "Assistant Commandant" and "Adjutant" mean persons appointed by the [State Government]¹ to those offices of the [Pradeshik Armed Constabulary]²;
 - (2) "Officer of the Pradeshik Armed Constabulary" means a person appointed to the [Pradeshik Armed Constabulary]² under this Act, who has in accordance with the provisions of this Act, signed a statement in the form given in the Schedule;

Act XLV of 1898

- (3) The expressions "reason to believe", "criminal force" and "assault", have the meanings respectively assigned to them in the Indian Penal Code;
- (4) "Superior Officer" means in relation to an officer of the [Pradeshik Armed Constabulary]" any officer of a rank which as prescribed is higher than that of such officer;
 - $(5)[***]^3$
 - (6) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act.

Constitution of P.A.C.

There shall be raised and maintained by the [State Government]¹ a force to be called the [Pradeshik Armed Constabulary]² and it shall be constituted in one or more companies in such manner and for such period as may be prescribed.

Enrolment and discharge of officers of the Pradeshik Armed Constabulary Before any person, whether already enrolled in [Uttar Pradesh]⁴ Police Force under the Police Act, 1861, or not so enrolled, is appointed to be an officer of the [Pradeshik Armed Constabulary]², the statement in the schedule shall be read, and if necessary, explained to him by a Magistrate, Commandant or Assistant Commandant, shall be signed by him in acknowledgment of its having been so read and explained to him and shall be attested by the Magistrate, Commandant or Assistant Commandant as the case may be.

Members of P.A.C. to be deemed Police Officers 5-

Act V of 1861

Subject always to the provisions of sections 6 to 8 every member of the [Pradeshik Armed Constabulary]² shall, upon his appointment and as long as he continues to be a member thereof, be deemed to be a police officer and, subject to any terms, conditions, and restrictions, as may be prescribed, to have and be subject to, in so far as they are not inconsistent with this Act or any rules made thereunder, all the powers, privileges, liabilities, penalties, punishments and protection as a police officer duly enrolled has or is subject to by virtue of the Police Act, 1861, or any other law for the time being in force, or any rules or regulations made thereunder.

- 1- Subs. by the A. O. 1950 for (Provl. Govt.).
- 2- See footnote no. 2 on the first page of this Act.
- 3- The word ("Dominion" means the Dominion of India.) omitted by the A.O. 1950.
- 4- Subs. ibid for (the United Provinces).

Moreheinous offences

6-

An officer of the [Pradeshik Armed Constabulary]² who------

- (a) begins, excites, causes or joins in any mutiny or sedition, or being present at any mutiny or sedition does not use his utmost endeavours to suppress it, or, knowing or having reason to believe in the existence of any mutiny, or of any intention to mutiny, does not without delay give information thereof to his commanding or other superior officer; or
- (b) uses or attempts to use criminal force against or commits an assault on his superior officer, whether on or off duty; or
- (c) abandons or delivers up any post or guard which is committed to his charge or which it is his duty to defend; or
- (d) directly or indirectly holds correspondence with or assists or relieves any person in arms against or hostile to [the Union]¹ or omits to disclose immediately to his commanding or other superior officer any such correspondence coming to his knowledge; or
 - (e) deserts the service;

shall, on conviction, be *punished with imprisonment for life* or with imprisonment for a term which may extend to fourteen years and shall also be liable to fine.

Less heinous offences

7-

An officer of the [Pradeshik Armed Constabulary]² who-

- (a) strikes or assaults any sentry; or
- (b) being under arrest or in confinement, escapes from arrest or confinement; or
- (c) is grossly insubordinate or insolent to his superior officer in the execution of his office; or
- (d) strikes or maliciously ill-treats any officer of the [Pradeshik Armed Constabulary]² subordinate to him in rank or position; or
- (e) malingers or feigns or produces disease or infirmity in himself, or intentionally delays his cure, or aggravates disease or infirmity; or
 - (f) being a sentry, sleep while upon his post; or
- (g) quits his post, guard. Piquet, party or patrol with cut being regularly relieved or without leave,

shall, on conviction, be punished with imprisonment for a tam which may extend to seven years or with fine or with both.

- 1- Sub section by the A O. 1950 for (the Dominion).
- 2- See foot- note no. 2 on the first page of this Act.

Minor punishments

8-

- (1) The Commandant and subject to the control of the Commandant an Assistant Commandant or such other officer, as may be prescribed, may, without formal trial, award to any officer of the [Pradeshik Armed Constabulary]¹ of and below the rank of head constable, who is subject to his authority, any of the following punishments for the commission of any offence against discipline which is not otherwise provided for in this Act or which in the opinion of the Commandant, Assistant Commandant or officer as the case may be, is not of a sufficiently serious nature to call for prosecution before a criminal court, that is to say--
 - (a) imprisonment in the quarter-guard, or such other place, as may be considered suitable for a term which may extend to twenty-eight days when the order is passed by a Commandant, or to seven days when it is passed by any other officer. Such imprisonment shall involve the forfeiture of an pay and allowances for the period of impressments ,
 - (b) punishment drill, extra guard, fatigue or other duty, not exceeding twenty-eight days in duration, with or without confinement to the lines;
 - (c) fine not exceeding seven days pay.
- (2) Any of the punishments specified in sub-section (1) may be awarded separately or with anyone or more of the others; provided always that imprisonment and confinement to the lines shall not exceed twenty-eight consecutive days, and fine shall not be combined with imprisonment.
 - (3) No appeal shall lie from an order passed under this Section.

Discharge from [Pradeshik Armed Constabulary] Act V of 1861

Notwithstanding anything contained in the Police Act, 1861, or in any other law, no officer of the [Pradeshik Armed Constabulary]¹ shall be entitled to be discharged from the [Pradeshik Armed Constabulary]¹.

Reversion

10-

9-

The Commandant or an Assistant Commandant may notwithstanding anything contained in section 9, at any time revert to [Uttar Pradesh]² Police any Officer of the [Pradeshik Armed Constabulary]¹ who has been seconded from the Police Force.

Peace of imprisonment

11-

Act V of 1861

- (1) A person sentenced under this Act to imprisonment for a period exceeding three months, shall, notwithstanding anything contained in the Police Act, 1861, be deemed to have been dismissed from [Uttar Pradesh]² Police Force and from the [Pradeshik Armed Constabulary]¹ and shall be imprisoned in the nearest or such other jail as the [State Government]² may, by general or special order, direct.
- (2) A person sentenced under this Act to imprisonment for a period not exceeding three months may, if the Commandant, or subject to his control, an Assistant Commandant, so directs, be confined in the quarter-guard or such other place as the Commandant or Assistant Commandant may consider suitable.

¹⁻ See foot- note no. 2 on the first page of this Act.

²⁻ Subs. by the A O. 1950 for (the Dominion).

Saving of prosecution under other Laws

12-

13-

Nothing in this Act shall prevent any person from being prosecuted under the Police Act, 1861, or under any order, or rule made under that Act or any other enactment for the time being in force, for any act or omission punishable thereunder, or from being liable; if so prosecuted, to any other or higher penalty than is provided for that act or omission by this Act:

Provided that no person shall be punished twice for he same offence.

Subject to such rules as the [State Government]² may make in this behalf; a Commandant or Assistant Commandant shall have with respect to Police Officers appointed to [Uttar Pradesh]² Police Force under the Police Act, 1861, who are not officers of the [Pradeshik Armed Constabulary] the same disciplinary powers as a Superintendent of Police of a District has with respect to them under that Act.

Disciplinary and other powers of commandant and 2nd in Command of Uttar Pradesh Armed Constabulary otherwise than in respect of the [Pradeshik Armed Constabulary]1 Act 5 of 1861

Disbandment 14reconstitution.

Discharge of an officer on disbandment and reconstitution

and

Power to make 15rules

- (1) The [State Government] may by notification in the official Gazette, disband or reconstitute the [Pradeshik Armed Constabulary] or any Company thereof.
- (2) Whenever the [Pradeshik Armed Constabulary] or any Company thereof is disbanded or reconstituted under sub-section (1) it shall, notwithstanding anything contained in this Act or any other enactment for the time being in force and subject to such conditions, as may be prescribed, be lawful for the [State Government]² with a view to such disbandment or reconstitution, to discharge any officer from the [Pradeshik Armed Constabulary] and if he is enrolled under the Police Act, 1861, and has not been confirmed, from the Police force also.
- (1) The [State Government]² may make rules for carrying out the purposes of this Act.
- (2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers, the rules may provide for the following matters, that is to say-
 - (i) the number of companies to be constituted;
 - (ii) the pay and other terms and conditions of service of officers of the [Pradeshik Armed Constabulary]¹;
 - (iii) the manner in which and the persons who may be appointed to be officers of the [Pradeshik Armed Constabulary]¹;
 - (iv) any other matter which is to be or may be prescribed.

Act V of 1942 16-Repeal

The Special Armed Constabulary Act, 1942, as amended from time to time is hereby repealed:

U.P. Act 1 of 1904

Provided that (without prejudice to the general application of sections 6 and 24 of the United Provinces General Clauses Act, 1904, with regard to the effect or repeals):

^{1.} See footnote no. 2 on the first page of this Act.

^{2.} Subs. by the A. O. 1950.

- (a) any form, order, rule or direction made, issued or given under the said Act and in force immediately before the commencement of this Act, shall in so far as it applies to the [Pradeshik Armed Constabulary]² and is not in consistent with his Act continue in force as if it has been prescribed, made, issued or given under this Act and may be repeated, revoked, varied or amended accordingly;
- (b) any officer or person appointed to act or enrolled under or by virtue of the said Act in the Pradeshik Armed Constabulary]² shall continue and be deemed to have been appointed under or by virtue of this Act; and
- (c) any statement executed by any member of the Special Armed Constabulary or the [Pradeshik Armed Constabulary]² in accordance with sections 3 and 13 of the said Act shall be so read and construed as if it had been executed under the corresponding provisions of this Act.

SCHEDULE

[See Sections 2, 3 and 4]

STATEMENT

At no time during the period of your service in the [Pradeshik Armed Constabulary]² will you be entitled to obtain your discharge at your own request. On the liquidation of the force or of the company in which you may for the time being, be posted, you will be discharged from the [Pradeshik Armed Constabulary]² and, unless you were already a confirmed member of [Uttar Pradesh]¹ Police Force before joining the [Pradeshik Armed Constabulary]², from [Uttar Pradesh]¹ Police also. ³[You will, however, be eligible for re-enlistment in [Uttar Pradesh]¹ Police]. In the event of your continuing in [Uttar Pradesh]¹ Police or your re-enlistment therein, your services in the [Uttar Pradesh]¹ [Pradeshik Armed Constabulary]² will count for promotion and pension in [Uttar Pradesh]¹ police.

Signature of Police officer in acknowledgement of the above having been read over to him.

Signed in my presence, after I had ascertained that	
understood the purport of what he signed.	
Magistrate Commandant or Assistant Commandant	

¹⁻ Subs. by the A. O. 1950 for (Provincial Government).

²⁻ See foot note no. 2 on the first Page of this Act,

³⁻ The portion in brackets will be deleted in the case of officers how ere already Member of Uttar Pradesh Police on joining the Pradeshik Armed Constabulary.